



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16052020-219387
CG-DL-E-16052020-219387

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1347]
No. 1347]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 15, 2020/वैशाख 25, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 15, 2020/VAISAKHA 25, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2020

का.आ. 1508(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में तदनुसूची प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथा-विनिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामतः

सारणी

नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं. (1)	राष्ट्रीय राजमार्ग खंड (2)	चैनेज (3)
रारा-161ए	महाराष्ट्र/कर्नाटक सीमा (वनमारपल्ली गांव) – औराड – बीदर रिंग रोड और अंबेडकर सर्किल (बीदर) तक (कर्नाटक राज्य में समग्र रारा)	किमी 0.000 से किमी 45.878

[फा. सं. एनएच-14013/11/2020-पीएंडएम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th May, 2020

S.O. 1508(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of National Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

TABLE

New National Highways No. (1)	Section of National Highways (2)	Chainage (3)
NH-161A	From Maharashtra/ Karnataka border (Vanamarpalli Village) – Aurad- Bidar Ring Road and upto Ambedkar circle (Bidar) (Entire NH in the State of Karnataka)	Km. 0.000 to Km 45.878

[F. No. NH-14013/11/2020-P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.